कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग भिण्ड (म0प्र0)

{ जिला पंचायत भवन II[nd] फ्लोर इटावा रोड भिण्ड ई–मेल–eresbhind@mp.gov.in }

क्र./758/ग्रा.या.से./निविदा/26 भिण्ड ,दिनांक 11/5/26

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांकः–05 /2026–27

म0प्र0 के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन प्रतिशत दर निविदायें, निविदा प्रपत्र '2.10' पर म.प्र. लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीयकृत ई–पंजीयन प्रणाली में समतुल्य/सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दो कवर पद्धति में निम्न तालिका में अंकित निर्माण कार्य हेतु कॉलम 09 में प्रदर्शित दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) के आधार पर आमंत्रित की जाती है।

क्र.	टेण्डर आई. डी.	कार्य का नाम	निविदा लागत (पी.ए.सी.) रू. लाख में	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये हजार में	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	आमंत्रण का क्रम	दर अनुसूची का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	506502	पार्क निर्माण कार्य डाइट कैम्पस में डाईट कालेज भिण्ड	रू. 10.59 लाख	21200	2000/-	09 माह	प्रथम	ग्रायांसे अंतर्गत दिनांक 11.04 2022 से प्रभावशील एवं निविदा प्रकाशन दिनांक तक अद्यतन संशाधित से लागू दर अनुसूची।

नोटः–

➢ उक्त कार्यो के निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट : https://www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन भुगतान कर क्रय किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र क्रय करने का दिनांक 17-05-2026 समय–10.30 बजे से प्रारंभ होकर, निविदा प्रपत्र क्रय एवं ऑन लाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 23-05-2026 समय–17.30 बजे तक निर्धारित है।

➢ कार्य संबंधी विवरण एवं निविदा की शर्ते आदि वेबसाईटः https://www.mptenders.gov.in या संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री ग्रा0या0से0संभाग भिण्ड के कार्यालय में कार्यलयीन समय पर देखी जा सकती है।

➢ निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें, शीघ्रातिशीघ्र बिड जमा करे। वेवसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।

➢ वित्तीय प्रस्ताव किसी भी स्थिति में ऑफलाईन (हार्ड कॉपी में) मान्य नहीं होगा, यदि वित्तीय प्रस्ताव मोहर बंद लिफाफे में या किसी भी प्रकार से ऑफलाईन दिया गया तो वह बिड अमान्य कर दी जावेगी।

ऑन लाईन निविदा की सामान्य शर्ते :–

1. निविदा दो कवर पद्धति में आमंत्रित है

1.1 प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन बिड जमा करते समय निम्न दस्तावेज, कवर–एक में स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है :–

(i) निविदा की तालिका के कॉलम 05 के अनुसार साफटवेयर में प्रदर्शित निर्धारित बैंक द्वारा अमानत राशि की ऑन लाईन जमा रसीद ही मान्य होगी। यदि किसी ठेकेदार द्वारा बैंक द्वारा बनवाई गई एफडीआर टेंडर में ऑन लाईन स्केन कर लगाई जाती है तो उसे अमान्य माना जावेगा।

(ii) एनेक्जर–B के अंतर्गत नोटराईज्ड शपथ–पत्र 200 रूपये के स्टाम्प पर।

(iii) पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि/पंजीयन हेतु अर्हता का प्रमाण आर्गनाइजेशनल डिटेल एनेक्जर –H में।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(iv) निविदा प्रपत्र क्रय करने की ऑनलाईन भुगतान रसीद।

1.2 ऑन लाईन बिड के Price Bid में फायनेन्सियल बिड अपलोड की जावे।

2. प्रत्येक निविदा के लिये निविदाकार को कंडिका 1.1 में अंकित विंदु कमांक (i), ii) के दस्तावेजों की मूल प्रति एवं बिंदु कमांक (iii) एवं (iv) के दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित छायाप्रति केवल ऑनलाईन ही जमा की जावेगी। ऑफ लाईन कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नही किये जावेगे।

3- Key Dates :

TENDER TIME SCHEDULE

Publishing date date and time	17-05-2026 10:30	Pre bid meeting date and time	11:00
Document download / sale start date	17-05-2026 10:30	Bid submission start date and time	17-05-2026 10:30
Bid submission End date and time	23-05-2026 17.30	Bid Open date and time	25-05-2026 10:30

4. f

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सुपाठ्य होना चाहिये।

5. यदि किसी निविदाकार द्वारा एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत से अधिक कम दर प्रस्तुत की जाती है एवं स्वीकृत होती है तो निविदा दर एवं एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत कम दर के अंतर की राशि अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी के रूप में एफ.डी.आर. प्रस्तुत करने पर ही अनुबंध कराया जाएगा, जो कि कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात वापिस की जावेगी।

6. ठेकेदार प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत की जावे। पूर्व निविदाओं की अमानत राशि समायोजित नही की जावेगी।

7. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

8. कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों में मूल्यवृद्धि देय नही होगी।

9. निविदाकार को खनिज गौण संपदा उपयोग हेतु खदानी का निर्धारण स्वयं कराना होगा। अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना होगा।

10. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेज मे उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची एवं आवृत्ति अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत किया जावे।

11. निविदाकार के पास कार्य को समयावधि में पूर्ण करने की आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक मशीनरी इत्यादि होना अनिवार्य होगा।

12. विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा।

13. निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

14. श्रम संविदा एक्ट के अंतर्गत, जीवित लेबर लायसेन्स प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

15. कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।

16. संबंधित ठेकेदार का ऊर्जा विभाग/म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) भोपाल द्वारा जारी विद्युतीकरण कार्य का सक्षम श्रेणी का वैध पंजीयन होना अथवा विद्युतीकरण (बिजली) कार्य हेतु सक्षम श्रेणी के वैध पंजीयनधारी लायसेंसी का ठेकेदार से संबद्ध होना आवश्यक होगा। (तदाशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा)।

17. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/वनक्षेत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

18. ठेकेदार को कार्य पूर्ण होने के उपरांत एम.पी.ई.व्ही. से हैंडओवर/टेकओवर सर्टिफिकेट इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

निविदाकार या फर्म के द्वारा एक कार्य की एक से ज्यादा निविदा प्रस्तुत नहीं की जावेगी। प्रत्येक कार्य के [illegible] से निविदा प्रस्तुत की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

20. यदि कोई ठेकेदार एक से अधिक फर्मो में पार्टनर अथवा प्रोप्राइटर हो तो ऐसी फर्मो द्वारा एक ही कार्य के लिये अलग–अलग निविदा प्रस्तुत नहीं की जावें। अन्यथा फर्मो द्वारा प्रस्तुत निविदायें निरस्त कर दी जावेगी।

21. निर्माण कार्यो हेतु परफार्मेन्स/डिफेक्ट लायविलिटी के लिये अनुबंधित राशि की 5 प्रतिशत राशि अनुबंध के पूर्व बैंक एफ.डी.आर. के रूप में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड के नाम से प्रस्तुत करना होगी। अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता दिनांक अथवा वास्तविक पूर्णता दिनांक जो पहले हो के तीन माह बाद राशि वापस की जावेगी। यदि इस अवधि में निर्माण कार्य में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं से सुधार कार्य कराया जावेगा। लिखित में सूचित करने के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा कार्य न कराये जाने पर, कार्य प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर, अन्य एजेंसी/विभाग द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा एवं सुधार कार्य पर किये गये व्ययं की राशि (जिस वावत् प्रभारी अभियंता का प्रमाण पत्र अंतिम होगा) उपरोक्तानुसार ठेकेदार की जमा राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। यदि सुधार कार्य के व्यय की राशि ठेकेदार की जामा राशि से अधिक रहती है तो अंतर की राशि उससे बकाया भू–राजस्व/नगद प्रतिभूति के रूप में वसूल की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग भिण्ड (म0प्र0)

भिण्ड दिनांक 11/5/26

पृ0 कमांक/759/निविदा./ग्रायांसे/भिण्ड/2026
प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रथम की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
3. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ज़ोन–भोपाल।
4. कलेक्टर जिला भिण्ड ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड।
6. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा चंबल मण्डल मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।.
7. मानचित्रकार/ऑडिटर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड
8. सूचना पटल संभागीय कार्यालय पर चस्पा हेतु।
9. म0प्र0 शासकीय ठेकेदार ऐसोसियेशन 32, सुन्दर नगर पिपलानी, बी.एच.ई.एल. भोपाल।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग भिण्ड (म0प्र0)

अनुमोदित

अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
चम्बल मण्डल मुरैना (म0प्र0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nikhil Mishra
Date: 2026.05.11 14:12:38 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner